खबर संक्षेप

भोपाल होगा भिक्षावृत्ति मुक्त, आश्रय स्थल संचालन के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं से 15 जुलाई तक प्रस्ताव आमंत्रित

भोपाल। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की [illegible] उपयोजना के तहत भोपाल जिला को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के उद्देश्य से चयनित किया गया है। उल्लेखनीय है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु विशेष रूप से आश्रय स्थल/भिक्षुक गृह की स्थापना की गई है। इस आश्रय स्थल के संचालन के लिए अनुभवी और सक्षम स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों से 15 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। कलेक्टर भोपाल द्वारा 3 फरवरी 2025 को भिक्षावृत्ति करने व भिक्षा देने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया है। संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि जो संस्थायें निम्न शर्तें पूर्ण करती है वह आवेदन कर सकती है इसके लिये संस्था सोसायटी रजिस्ट्रेशन/फर्म/लोक न्यास अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो।

ओरल इन्फेक्शन से महिला का जबड़ा हुआ खराब

भोपाल। मुंह में छाले या जलन जैसे लक्षणों को हल्के में लेना आपका जबड़ा खराब कर सकता है। ऐसा ही एक केस एम्स भोपाल से सामने आया है। 62 वर्षीय महिला में ओरल इन्फेक्शन की शुरुआत डेढ़ साल पहले इन्हीं लक्षणों से हुई थी। धीरे-धीरे यह दर्द और जबड़े के टेढ़े पन में तबदील हो गई। महिला बीते एक साल से अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक में इलाज के लिए भटकती रहीं। फिर [illegible] भोपाल पहुंची। जहां उनमें मध्यप्रदेश की पहली आर्टिफिशियल जॉ रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। भोपाल के डॉक्टरों ने महिला के लिए कस्टम-निर्मित टाइटेनियम प्लेट बनवाई। जो महिला के जबड़े से मेल खाती हो। इसके बाद इसे इंप्लांट किया गया। सर्जरी करने वाले एम्स भोपाल के मैक्सोफेशियल सर्जन डॉ. बीएल सोनी के अनुसार, यह जटिल सर्जरी थी। पहले महिला के जबड़े जैसा 3डी प्रिंटर से एक मॉडल तैयार किया गया। पूरी टीम ने उस पर सर्जरी कर प्रेक्टिस की। इसके बाद महिला की सर्जरी की गई। पहले महिला के जबड़े जैसा 3डी प्रिंटर से एक मॉडल तैयार किया गया। पूरी टीम ने उस पर सर्जरी कर प्रेक्टिस की। इसके बाद महिला की सर्जरी की गई। डॉ. सोनी ने बताया कि सर्जरी के दो विकल्प थे। एक में महिला के शरीर की हड्डी का उपयोग कर नया जबड़ा बनाया जा सकता था। लेकिन, महिला मधुमेह समेत कई बीमारियों से ग्रसित थी।

सांप से खेल रहा था शख्स,पकड़ ढीली हुई हमला किया, हथेली और कंधे पर काटा

शरीर में फैला जहर, वेंटिलेटर सपोर्ट पर पीड़ित

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल के पिपलिया पेंदे खान निवासी 40 वर्षीय एक व्यक्ति पर कोबरा के साथ खेलना भारी पड़ गया। घर के बाहर सांप देखते ही व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद वह उसे लेकर पूरे इलाके में घूमने लगा, जिसका मौजूद लोगों ने वीडियो बना लिया।करीब 10 मिनट तक व्यक्ति लगातार सांप को परेशान करता रहा। कभी उसको पालतू जानवर की तरह सहलाना तो कभी आसपास के लोगों के सामने उसका प्रदर्शन करना। इसी बीच उसकी पकड़ ढीली हुई और सांप ने पहले उसकी हथेली और फिर कंधे पर काट लिया।

वेंटिलेटर पर भर्ती पीड़ित

भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार, कोबरा को लंबे समय तक परेशान किया गया, जिससे सांप तनाव में आ गया था। यही वजह रही कि उसने

मौका मिलते ही बड़ी मात्रा में जहर व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया।इसके कारण सिर्फ 30 मिनट में ही व्यक्ति में न्यूरोलॉजिकल लक्षण सामने आने लगे। जहर की मात्रा ज्यादा होने के कारण मरीज को अगले 30 मिनट में लगातार जरूरी इलाज दिया गया, इसके बाद भी हालत में सुधार नहीं हुआ। स्थिति को बिगड़ता देख उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। मरीज की हालत अभी गंभीर बनी हुई है।

सांप भाग निकला

पीड़ित को जैसे ही कोबरा ने काटा, वह घबरा गया। आसपास मौजूद लोग भी डर के चलते दूर हो गए। इसी बीच सांप मौका देखते ही भाग निकला। आसपास के लोगों ने बताया कि बारिश के मौसम में अक्सर क्षेत्र में सांप निकलते हैं। ज्यादातर रैट स्नेक (गैर-जहरीला) दिखाई देते हैं, लेकिन कई बार कोबरा भी निकलता है। इस घटना से लोगों में डर बैठ गया है।सांप को पकड़ कर घूमते हुए व्यक्ति का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो की शुरुआत में ही एक महिला कोबरा को [illegible] की तरफ छोड़ने की बात कहती सुनाई दे रही है। करीब 38 सेकेंड के इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि व्यक्ति सांप के साथ एक पालतू जानवर जैसा व्यवहार कर रहा था। AIIMS के डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि यदि सांप नजर आए तो उससे दूरी बनाए रखें।सांप इंसानों पर आमतौर पर हमला नहीं करते हैं। यदि घर में सांप हो तो स्नेक कैचर को ही फोन करें, खुद उसे पकड़ने का प्रयास न करें। डॉक्टरों ने यह भी अपील की कि इन दिनों कई नकली सपेरे भी घूम रहे हैं, सांप उन्हें न ले जाने दें। वे सांप के मुंह को फैवी क्विक से चिपका देते हैं, जिससे सांप कुछ दिनों में तड़प-तड़प कर मर जाता है।

आवासीय परिसर में गैर घरेलू गतिविधियां होने पर

गैर घरेलू कनेक्शन के लिए स्वैच्छिक आवेदन करें

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे उपभोक्ता जो अपने आवासीय परिसर में रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट, प्रायवेट होस?टल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे कोचिंग क्लासेस, ब्यूटी पार्लर आदि चलाते हैं, उन्हें कंपनी ने सलाह दी है कि वे मध?य क्षेत्र विद्युत वितरण अथवा PAY app के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर अपने प्रयोजन को घरेलू से गैर घरेलू (व्यवसायिक) श्रेणी में परिवर्तित करवा लें। कंपनी ने उपभोक्ताओं से यह भी अपील की है कि उपभोक्ता ने जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया है, उसी के अनुसार विद्युत का उपभोग करें। उदाहरण के लिए यदि किसी उपभोक्ता ने घरेलू (लाइट और फैन) का कनेक्शन लिया है तो वे केवल उस परिसर को निवास के रूप में उपयोग करें। कंपनी ने कहा है कि सघन चैकिंग

अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि आवासीय परिसर में संचालित की जा रही है तो ऐसी गतिविधियों को गैर घरेलू प्रयोजन में माना जाएगा और संबंधित दोषी उपभोक्ता से जुर्माना वसूल किया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील है कि वे अपने कनेक्शन की जांच करा लें और जिस प्रयोजन के लिए कनेक्शन लिया गया है उसी के अनुसार सही संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए बिजली कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल अथवा [illegible] पर जाकर अपने कनेक्शन प्रयोजन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर संबंधित टैरिफ श्रेणी में परिवर्तित करा लें।

दोस्त के लिए जेंडर चेंज कराया, अब उसने रिश्ता तोड़ा

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल में 27 साल के युवक ने अपने दोस्त के कहने पर जेंडर चेंज करवाया। जब उसने शादी के लिए कहा तो दोस्त 10 लाख रुपए मांगने लगा। रुपए नहीं देने पर उसने रिश्ता तोड़ दिया। अब ब्लैकमेल कर रहा है। पीड़ित की शिकायत पर भोपाल की गांधी नगर पुलिस ने आरोपी शुभम यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन का ससुराल नर्मदापुरम में है। बहन के पड़ोस में रहने वाले शुभम यादव से उसकी पहचान हुई थी। 2021 में दोनों रिते में आ गए।

भरोसे में लेकर 6 लाख रुपए ऐंठे

पीड़ित ने बताया, आरोपी ने पहले एक होटल में उससे संबंध बनाए। फिर उसके बैंक खाते से करीब 6 लाख रुपए निकलवा लिए। इसके बाद शुभम ने उसे जेंडर चेंज करवाने के लिए दबाव बनाया। 18 नवंबर 2024 को इंदौर के खजराना के एक निजी अस्पताल में उसका ऑपरेशन करवा दिया। जेंडर चेंज करवाने के बाद 25 दिसंबर 2024 को आरोपी ने उसे नर्मदापुरम बुलाया। यहां फिर संबंध बनाए। इसके बाद से आरोपी 10 लाख रुपए की मांग करने लगा और धमकाने लगा। पीड़ित का कहना है कि मैंने उस पर भरोसा करके ऑपरेशन करवाया।

नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान, सरल संयोजन पोर्टल से करें ऑनलाइन आवेदन

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु सरल और सुविधाजनक तरीके से त्वरित नवीन बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए उपभोक्ताओं को सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में घर बैठे ही नवीन कनेक्शन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

गौरतलब है कि कंपनी द्वारा विगत जुलाई 2023 से शुरू किये गये ऑनलाइन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से अब तक भोपाल शहर में 55 हजार से अधिक नए कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र में 03 लाख 36 हजार से अधिक नए कनेक्शन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक प्रदान किये गए हैं। इनमें 10 किलोवॉट तक के अस्थायी कनेक्शन भी शामिल हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री क्षितिज सिंघल ने बताया है कि कंपनी के सरल संयोजन पोर्टल पर आवेदन करते ही निर्धारित समयावधि में तत्काल नया बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। नये कनेक्शन लेने हेतु उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी के पोर्टल अथवा [illegible] एप पर जाकर जरूरी दस्तावेज अपलोड कर समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदक द्वारा विधिवत ऑनलाइन आवेदन और भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत बिजली कंपनी द्वारा सर्वे एवं अन्य औपचारिकताएं निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कर उपभोक्ता के परिसर में नया कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाएगा।

भोपाल में ब्रिज पर कार पलटी, वहीं पर वैन टकराई, वैन में स्कूली बच्चे सवार थे

पीपुल्स प्रवक्ता, भोपाल।

भोपाल के प्रभात नगर से एमपी नगर की ओर जाने वाले ब्रिज पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात तेज रफ्तार एसयूवी कार बेकाबू होकर पलट गई। इसी जगह बुधवार करीब सुबह 8 बजे एक स्कूली वैन डिवाइडर से टकरा गई। वैन में स्कूली बच्चे सवार थे। दोनों ही मामलों में थाना प्रभारियों ने जानकारी होने से इनकार किया है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक क्रेटा कार ब्रिज पर तेज रफ्तार में दौड़ती दिखाई दे रही है। पीछे चल रहे राहगीर इसका वीडियो बना रहे थे। तभी कार कुछ दूरी पर जाने के बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार का एक पहिया टूटकर सड़क पर गिर गया। राहगीरों ने कार में फंसे तीन लोगों को बाहर निकाला। तीनों होश में थे, जिसके बाद उन्हें जेपी अस्पताल पहुंचाया गया। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। कार में टैक्सी नंबर प्लेट लगी थी।

एक स्कूल वैन बुधवार सुबह ठीक इसी स्थान पर डिवाइडर से टकरा गई। तेज बारिश के चलते वैन के फ्रंट ग्लास में फॉग जम चुकी थी, जिससे चालक

को रोड नहीं दिख पाई। हालांकि रफ्तार ज्यादा न होने के कारण वैन डिवाइडर से टकराने के बाद रुक गई थी। बाद में स्कूली बच्चों को वैन से निकाला गया और दूसरे वाहन से स्कूल तक पहुंचाया गया।दोनों घटनाओं के संबंध में एमपी नगर थाने के टीआई जयहिंद शर्मा ने बताया कि उन्हें हादसे की जानकारी नहीं है। इधर, ऐशबाग थाने के टीआई वीबीएस सेंगर ने बताया कि ब्रिज के जिस हिस्से में घटना हुई वह एमपी नगर थाना क्षेत्र में आता है।

ट्रेन में भिक्षावृत्ति कर रहे थे 3 बच्चे

भोपाल। ट्रेन में भिक्षावृत्ति करते हुए तीन बच्चों का आरपीएफ जवानों ने रेस्क्यू किया है। बच्चे भोपाल से नर्मदापुरम के बीच दौड़ने वाली ट्रेन में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। भोपाल लाने के बाद उन्हें बाल निकेतन भेजा गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया, एसआई अवधेश कुमार एवं आरक्षक कृष्ण कुमार बुधवार को गाड़ी संख्या 22538 में नर्मदापुरम से भोपाल तक चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान स्लीपर कोच में एक बालक और दो बालिकाओं को यात्रियों से भीख मांगते हुए पाया। पूछताछ में बच्चों ने अपने नाम व पते बताए, जो इटारसी नर्मदापुरम के रहने वाले हैं। बच्चों ने बताया कि उनके माता-पिता काम पर चले जाते हैं और वे अपना खर्च चलाने के लिए ट्रेनों में भीख मांगते हैं। आरपीएफ टीम ने तीनों बच्चों को आरपीएफ पोस्ट भोपाल लाई और फिर बाल कल्याण समिति सदस्य धनीराम पंवार को सूचित किया।

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. आरएस/444/0760/9119/25

इश्तहार

आवेदक अतुल राय जादा आ./पत्नि ओमप्रकाश सक्सेना निवासी न्यू कृष्णा कोलोनी विदिशा द्वारा ग्राम अकबरपुर स्थित खसरा नंबर 75, 82, 86/1/1, 86/1/2, 62/2 क्षेत्रफल 200 वर्गफिट अर्थात 18.58 वर्गमी. का विक्रयपत्र/ फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 0228020320151076
एपीपी-25453025

इश्तहार

आवेदक सिमरन कुकरेजा आ./पत्नी राजेश कुकरेजा निवासी हिनोतिया आलम कोलार रोड द्वारा ग्राम हिनोतिया आलम स्थित खसरा नंबर 95/597/2 व अन्य क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट का विक्रयपत्र/ फौती/वसीयतनामाके आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 0228020320151076
एपीपी-25453221

इश्तहार

आवेदक सिमरन कुकरेजा आ./पत्नी राजेश कुकरेजा निवासी हिनोतिया आलम कोलार रोड द्वारा ग्राम हिनोतिया आलम स्थित खसरा नंबर 95/597/3/1/1/1/1/1/2 क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट का विक्रयपत्र/ फौती/ वसीयतनामाके आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. आरएस/444/0760/9132/25

इश्तहार

आवेदक अतुल राय जादा आ./पत्नि ओमप्रकाश सक्सेना निवासी जी.डी. शर्मा न्यू कृष्णा कोलोनी विदिशा द्वारा ग्राम अकबरपुर स्थित खसरा नंबर 75, 82, 86/1/1, 86/1/2, 62/2 क्षेत्रफल 4.0500 हे. का अंश भाग 800 वर्गमी. का विक्रयपत्र/ फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 022502032015046
App-25433017

इश्तहार

आवेदक शशि श्रीवास्तव आ./पत्नि संतोष कुमार निवासी ग्राम बंजारा कोलार रोड द्वारा ग्राम स्थित खसरा नंबर19/1, 19/2 व अन्य क्षेत्रफल 1560 7.150 का। विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. 022802032015106
एपीपी-25219797

इश्तहार

आवेदक शिवसागर चौहान आ./पत्नि मुन्नु चौहान निवासी 250 अकबरपुर कोलार भोपाल द्वारा ग्राम अकबरपुर स्थित खसरा नंबर पुराना 89 नया खसरा 344 क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट का विक्रयपत्र/फौती/वसीयतनामाके आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 15/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. .....

इश्तहार

आवेदक श्रीमती शोभा गजभिये आ./पत्नि दीपक गजभिये निवासी सी-644 सर्वधर्म सी-सेक्टर कोलार द्वारा ग्राम बंजारी स्थित भूखंड नंबर डी.के. 1/5 दानिश कुंज क्षेत्रफल 195.16 वर्गमीटर का विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 17/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ़ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रकरण क्र. आरएस/444/0760

इश्तहार

आवेदक कृष्ण कन्हैया गौर आ./पत्नि रामस्वरूप गौर निवासी म.नं. फ्लाट-10/ए- समार्ट अशोक कालोनी द्वारा ग्राम इमालिया जरगर स्थित खसरा नंबर 104/2 (एस) का अंश भाग क्षेत्रफल 2663 वर्गफिट अर्थात 247.49 वर्गमी. नामांतरण किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 04/07/2025 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

अतिरिक्त तहसीलदार तहसील कोलार जिला-भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0621/अ-6 /2025-26
मौजा- खारखेड़ी तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवीण कुमार दुबे आत्मज श्री गोपाल प्रसाद दुबे निवासी 1241 न्यू बस्ती सीहोर रोड भैंसाखेड़ी भोपाल ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक ई पंजीयन क्रमांक - 4/389 दिनांक 14/03/2013 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225 कुल रकबा मे से 1000 वर्गफिट ग्राम खारखेड़ी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17.07.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल

न्यायालय तहसीलदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0622/अ-6 /2025-26
मौजा- खारखेड़ी तहसील हुजूर, भोपाल

::: उद्घोषणा पत्र :::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रवीण कुमार दुबे आत्मज श्री गोपाल प्रसाद दुबे निवासी 1241 न्यू बस्ती सीहोर रोड भैंसाखेड़ी भोपाल ने द्वारा म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक ई पंजीयन क्रमांक - 4/390 दिनांक 14/03/2013 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 225 कुल रकबा मे से 1000 वर्गफिट ग्राम खारखेड़ी प.ह.न. तहसील हुजूर जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2-उक्त संबंध में किसी व्यक्ति / संस्था को कोई आपति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17.07.2025 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 01.07.2025 को जारी किया गया।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार वृत्त-2 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक 0712/अ-6 /2025-26
ग्राम कल्याणपुर प.ह.न. 35
दिनांक 24/04/2025

::: ईश्तहार :::

सर्वसाधरण श्री सुरूचि कुमार आ. श्री बिनोद प्रसाद सिंह निवासी- 1732 बी एन 3 एआर ई सेक्टर बरखेडा भोपाल (म.प.) ने म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्रमांक 3/4183 दिनांक 18.03.2015 के आधार पर क्रय की गई भूमि खसरा क्रमांक 42, 43, 44, 54 /1, 55 /1,56, 57, 58, 59/1, 60/1 रकबा क्रमशः 0.200, 1.570, 1.230, 0.233, 0.030, 0.920, 1.150, 0.390, 0.762, 0.750 हे. कुल रकबा 7.235 हे. भूमि स्थित ग्राम कल्याणपुर प.ह.न. 35 तहसील हुजूर, जिला भोपाल का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम स्वीकृत किए जाने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन पत्र के साथ, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की छायाप्रति एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचारधीन है।

उक्त संबध मे किसी व्यक्ति /संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वय अथवा अपने अभिभाषक के माध्याम से पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात आपत्ति पर कोई विचार नही किया जायेगा। प्रकरण मे आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 09/07/2025 नियत है।

उक्त उदघोषणा मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 02/07/025 को जारी किया गया है।

तहसीलदार तहसील- हुजूर भोपाल